

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी-०७ /ऋण/NBCFDC(income rev.) / 2018-19

दिनांक- २०-०४-२०१८

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी-४७ /ऋण/एनबीसीएफडीसी/2017-18 दिनांक-०८.०९.१७ का संदर्भ ग्रहण करे, जिसमे बिन्दु-२ में उल्लेख किया गया है कि एनबीसीएफडीसी की योजनाओं में ऋण वितरण करते समय पात्र लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय रु० ९८०००/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। एनबीसीएफडीसी, नई दिल्ली के पत्रांक- NBCFDC/PROJ/ SCA/2017-18 March 26, 2018 के द्वारा पारिवारिक वार्षिक आय को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया गया है।

क्र०	क्षेत्र	पूर्व में सीमा	संशोधित सीमा
१	ग्रामीण क्षेत्र	रु० ९८०००/-	एनबीसीएफडीसी की योजनाओं में कुल ऋण वितरण का ५० प्रतिशत रु० १.५० लाख तक की पारिवारिक आय वालों को तथा शेष ५० प्रतिशत रु० ३.०० लाख तक वार्षिक आय वालों को ऋण वितरण किया जाये।
२	शहरी क्षेत्र	रु० १२००००/-	

अतः उपरोक्त संशोधित पारिवारिक वार्षिक आय के अनुसार राज्य के पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। शेष ऋण वितरण प्रक्रिया बैंक के निर्धारित नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पादित की जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(के० बी० सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेषित-

- उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की ई-मेल पर अपलोड करने हेतु।
- समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
- समस्त अधिकारी/योजनाधिकारी, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षक, लखनऊ।
- समस्त सहायक आयुक्त/जिला सहायक निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
- समस्त क्षेत्रीय उपायुक्त/उपनिबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
- समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उ०प्र० द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक।
- प्रबन्ध निदेशक, एनबीसीएफडीसी, पंचम तल, एन० सी० य० ०२५० विलिंग, ३ सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त कान्ति मार्ग, पोस्ट बाक्स नं० ४६१७, नई दिल्ली -११००१६
- निजी सचिव(आयुक्त एवं निबंधक) सहकारिता, को आयुक्त एवं निबंधक महोदय, के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव (प्रबन्ध निदेशक) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
- निजी सचिव(सभापति) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र० का०, लखनऊ को मा० सभापति के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव(प्रमुख सचिव सहकारिता), को प्रमुख सचिव सहकारिता, उ०प्र० शासन के अवलोकनार्थ।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(के० बी० लाल)
सहायक महा प्रबंधक(ऋण)